न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 280/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. जवाराराम पुत्र नारायण राम 2. मोहनराम पुत्र नारायण राम 3. भेराराम पुत्र नारायण राम (जाति जाट, निवासी ग्राम रामनगर, (उटाम्बर) तह0 बालेसर जिला जोधपुर)		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर 2. उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) 3. किशनाराम पुत्र मुलाराम 4. मुन्नाराम पुत्र किशनाराम 5. रूगाराम पुत्र किशनाराम 6. लूम्बाराम पुत्र अलाराम 7. लालाराम पुत्र अलाराम 8. पुनाराम पुत्र लूम्बाराम 9. भोमाराम पुत्र काछबराम 10. भंवराराम पुत्र लालाराम 11. गैनाराम पुत्र लालाराम 12. सोनाराम पुत्र लालाराम 13. नेनाराम पुत्र लालाराम 14. भुराराम पुत्र प्रभुराम 15. बुधाराम पुत्र प्रभुराम 16. केनाराम पुत्र बुधाराम 17. भोमाराम पुत्र बुधाराम (जाति जाट, निवासी रामनगर–उटाम्बर तहसील बालेसर, जोधपुर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बालेसर आदेश क्रमांक 1781–84 दिनांक 06.06.2018

उपस्थिति –
1. श्री रूघाराम चौधरी, वकील अपीलांट्स
2. श्री राजाराम चौधरी, वकील रेस्पो0सं0 3 से 17
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 01.08.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 के द्वारा तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम रामनगर के उल्लेखित खसरान की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 559 की 05 बिस्वा भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै0मु0रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस में दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स उक्त खसरान की भूमि के रेकर्डेड खातेदार व काश्तकार है तथा उनकी सहमति व सुनवाई के बिना उक्त आदेश पारित किया गया है। मौके पर कोई रास्ता चालू नही है और न ही किसी खातेदार द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.16 एवं जिला कलेक्टर के पत्र के कम में जारी किया गया है, जो कि हस्तगत प्रकरण में लागू नही होते है, क्योकि अपीलांट की भूमि एक ही चक में आई हुई है व उक्त भूमि के चारों ओर मेडबंदी की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 131, 132 के प्रावधानों के अनुसार अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि में रास्ता दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नही है। अतः अपीलाधीन आदेश विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से अपास्त करने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 3 से 17 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम रामनगर में खसरा नं0 548, 549, 551, 552, 559, 562, 564 व 566 में से होकर ग्राम रामनगर से भैरू नगर आने–जाने का कदिमी रास्ता था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से कटाणी रास्ता घोषित किया है। प्रत्यर्थीगण के खेतों में रहवासीय ढाणियां बनी हुई है, जिनमें वे अपने परिवार सहित निवास करते है तथा उक्त कदिमी रास्ते का ही उपयोग करते है। अतः उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग का होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बालेसर के प्रस्ताव पर आरएलआर एक्ट की धारा 131, 132 के प्रावधानों एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र कमांक 10.8.16 तथा जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश कमांक 12663–75 दिनांक 2.9.16 के अनुसरण में ग्राम रामनगर में बासनी मनणा से भेरूनगर के मध्य कुल 8 खसरों में से सार्वजनिक रास्ता घोषित करने हेतु पारित किया गया है। प्रस्तावित रास्ते पर महानरेगा के तहत ग्रेवल सड़क का निर्माण अपीलांट के ख0नं0 559 को छोडकर किया हुआ है तथा यह रास्ता बारहमासी चलता है व मौके पर विद्यमान है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार बालेसर से प्रस्ताव प्राप्त कर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका फर्द अनुसार गश्त गिरदावरी के दौरान रूबरू मौतबिरान मौके पर चालू सार्वजनिक रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव तैयार कर, इसे संलग्न नक्शा ट्रेस/मौका फर्द दिनांक 3.6.18 के अनुसार ग्राम रामनगर में बासनी मनणा से उटाम्बर डाम्बर सडक से भेरूनगर ग्रेवल सडक के बीच कुल 8 खसरों में मौके पर चालू कदीमी रास्ता दर्शाते हुए, इसका राजस्व रेकर्ड में अंकन करना प्रस्तावित किया गया है। जो सार्वजनिक हित में विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांकः 1781–84 दिनांक 06.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर